

5

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन/2015-16/ E.O. No.- जयपुर, दिनांक: 13-04-2017
92276

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना बाबत संशोधित निर्देश।


प्रसंग :- राजस्थान राज पत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी।

सन्दर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन 2015-16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2016

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा वित्त विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2016 की पालना में पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा उपापन कार्यवाही के सम्पादन में 15 सामान्य शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। 15 सामान्य शर्तों में से शर्त संख्या 3, 4 व 9 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. शर्त संख्या 3 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दर प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/सामान्य डाक के साथ-साथ विशेष वाहक से भी भिजवाये जा सकते हैं।
2. शर्त संख्या 4 में अंकित शर्त "दर प्रस्ताव के साथ गत 2 वर्षों की दाखिल रिटर्न (जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत से 3 गुणा से अधिक हो)" को "दर प्रस्ताव के साथ गत 2 वर्षों की दाखिल रिटर्न (जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के बराबर या अधिक हो)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. शर्त संख्या 9 कम में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के अनुसार समिति निविदा प्रक्रिया अपनाकर उपापन की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रु. 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार खुली निविदा से ही कराये जा सकेंगे, अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रु. 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक के निर्माण कार्य के लिए केवल सामग्री का उपापन कर मस्ट्रोल के आधार पर कार्य कराना अनुमत नहीं होगा।

शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।



(सुदर्शन सेठी) 13-4-2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/अधिशायी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशायी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि